

**कर्नाटक राज्य के  
सर्वेक्षणों की स्थिति  
दि.29.01.2021. की स्थिति**

## विषय सूची

| क्रम सं.          | विवरण   | पृष्ठ सं. |
|-------------------|---|-----------|
| क                 | कर्नाटक राज्य सर्वेक्षण का सार                            | 1         |
| ख<br>(काँ. सं. 2) | बोर्ड को भेजे गये सर्वेक्षणों की रिपोर्ट - 3 नग           | 2 से 2 तक |
| 1                 | बीदर-नांदेड पीईटीएस का अद्यतन (नई लाइनें)                 | 2         |
| 2                 | कृष्णा-विकाराबाद पीईटीएस (नई लाइनें)                      | 2         |
| 3                 | खनापुर-परलीवैजनाथ पर बाइपास लाइन के लिए पीईटीएस           | 2         |
| ग<br>(काँ.सं. 3)  | चालू सर्वेक्षण - 3 नग                                     | 3 से 3 तक |
| 1                 | धर्मवरम-बेल्लारी के बीच आरईटीएस (नई लाइन)                 | 3         |
| 2                 | बोधन-बीदर के बीच पीईटीएस (नई लाइन)                        | 3         |
| 3                 | बीदर-नांदेड के बीच एफएलएस (नई लाइन)                       | 3         |
| घ<br>(काँ.सं. 4)  | बोर्ड द्वारा लंबित रखने के लिए सूचित परियोजनाएं- कुछ नहीं | 4 से 4 तक |
| च<br>(काँ.सं. 5)  | बोर्ड द्वारा रोक लगायी गयी परियोजनाएं - कुछ नहीं          | 4 से 4 तक |

## कर्नाटक राज्य के सर्वेक्षणों की स्थिति

| स्वीकृत वर्ष | स्वीकृत सर्वेक्षणों की सं. | रेलवे बोर्ड को भेजे गये और प्रस्ताव पर निर्णय प्रतीक्षित | चालू सर्वेक्षण<br>(3) = (1) - (6) | रेलवे बोर्ड द्वारा लंबित प्रस्ताव | रेलवे बोर्ड द्वारा रोक लगाये गये प्रस्ताव | रेलवे बोर्ड को भेजे गये सर्वेक्षण प्रस्ताव कुल = (2)+(4)+(5) |
|--------------|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|              | (1)                        | (2)  | (3)                               | (4)                               | (5)                                       | (6)  |
| 2004-05      | --                         | --   | --                                | --                                | --  | --   |
| 2005-06      | --                         | --   | --                                | --                                | --  | --   |
| 2006-07      | --                         | --   | --                                | --                                | --  | --   |
| 2007-08      | --                         | --   | --                                | --                                | --  | --   |
| 2008-09      | --                         | --   | --                                | --                                | --  | --   |
| 2009-10      | --                         | --   | --                                | --                                | --  | --   |
| 2010-11      | 2                          | 1  | 1                                 | --                                | --  | 1  |
| 2011-12      | --                         | --   | --                                | --                                | --  | --   |
| 2012-13      | --                         | --   | --                                | --                                | --  | --   |
| 2013-14      | --                         | --   | --                                | --                                | --  | --   |
| 2014-15      | --                         | --   | --                                | --                                | --  | --   |
| 2015-16      | --                         | --   | --                                | --                                | --  | --   |
| 2016-17      | 1                          | 1  | --                                | --                                | --  | 1  |
| 2017-18      | 1                          | --   | 1                                 | --                                | --  | --   |
| 2018-19      | 1                          | 1  | --                                | --                                | --  | 1  |
| 2019-20      | --                         | --   | --                                | --                                | --  | --   |
| 2020-21      | 1                          | --   | 1                                 | --                                | --  | --   |
| कुल          | 6                          | 3  | 3                                 | --                                | --  | 3  |

## (कॉ. सं. 2) बोर्ड को भेजे गये सर्वेक्षण रिपोर्टें- 3 नग

| क्रम सं. | सर्वेक्षण का नाम लंबाई कि.मी. में /बी.बी.मद सं/स्वीकृत वर्ष/राज्य   | सर्वेक्षण की संक्षिप्त स्थिति   |
|----------|---|---|
| (1)      | बीदर-नांदेड (नई लाइन) पीईटीएस अद्यतन करना / 154.65 कि.मी. / रेलवे बोर्ड के दि.08.04.2016 के पत्र सं.2016/डब्ल्यू-11/एससीआर/(एसवाई)/05 के अंतर्गत रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुसार/2016-17/ महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्य | 2152.18 करोड़ रु. की लागत और (+)0.63% के आरओआर के साथ सर्वेक्षण रिपोर्ट दि.27.11.2017 को रेलवे बोर्ड को भेजा गया. रेलवे बोर्ड ने दि.22.02.2019 के पत्र सं.2018/डब्ल्यू-1/जनरल/सर्वे/अंब्रेल्ला परियोजनाएं के अंतर्गत, नई लाइनों के अंब्रेल्ला कार्य के अंतर्गत बीदर-नांदेड के बीच नई लाइन (155 कि.मी) को पिक बुक 2018-19 में शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है. (परियोजना पिक बुक में # चिह्न के साथ दर्शाता है)<br>रेलवे बोर्ड ने दि.01.03.2019 के पत्र सं.2018/डब्ल्यू-1/जनरल/सर्वे/अंब्रेल्ला परियोजनाएं के अंतर्गत, नई लाइनों के अंब्रेल्ला कार्य के अंतर्गत बीदर-नांदेड के बीच नई लाइन के एफएलएस को पिक बुक 2018-19 में शामिल करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है. दि.19.08.2019 को एफएलएस निविदाएं खोली गयीं तथा स्वीकृति पत्र जारी किया गया. एफएलएस संरेखण का अनुमोदन दि.05.12.2019 को फील्ड को सूचित किया गया. दि.17.12.2019 को यार्ड स्केचेस के लिए अनुमोदन दिया गया तथा दि.18.12.2019 को फील्ड युनिट को सूचित किया गया.   |
| (2)      | कृष्णा-विकाराबाद/119.10 किमी/ रेलवे बोर्ड के दि.24.06.2010 का पत्र का क्रम सं.41 / 2010-11/ तेलंगाना राज्य  | रेलवे द्वारा 100% लागत साझेदारी पर 6.92% आरओआर के साथ 783.96 करोड़ रु. के लागत पर और तेलंगाना राज्य द्वारा 33% लागत साझेदारी पर 10.02 % आरओआर के साथ रिपोर्ट दि.05.03.2012 को बोर्ड को प्रस्तुत की गयी है. सीमेंट संयंत्र के परिवहन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कृष्णा-विकाराबाद के बीच 73 कि.मी. की दूरी का नारायणपेट-परिगि स्टेशनों के बीच संरेखण <b>डी-रूट करने के प्रस्ताव</b> को दि. 03.08.2013 के पत्र के अंतर्गत तत्समय आंध्रप्रदेश राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है. तत्समय आंध्रप्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया गया और सर्वेक्षण आयोजित किया गया और दि. 22.02.214 को तत्समय आंध्रप्रदेश राज्य सरकार को और दि.08.08.2014 और दि. 31.12.2014 को तेलंगाना राज्य सरकार को सूचित किया गया कि <b>डी-रूट संभव है</b> और तेलंगाना राज्य सरकार से (ए) राज्य सरकार द्वारा मुफ्त भूमि देने (बी) राज्य सरकार द्वारा लागत का शेष 50% वहन करने की दो प्रतिबद्धताओं का अनुरोध किया गया है. रेलवे बोर्ड और नीति आयोग द्वारा परियोजना को एक नयी परियोजना के रूप में माना जा सकता है <b>यदि परियोजना के भूमि और लागत साझेदारी के लिए तेलंगाना सरकार ने मान लेता है. तेलंगाना सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है.</b> |
| (3)      | खानापुर-परलीवैजनाथ के बीच बाइपास लाइन के लिए पीईटीएस /9 कि.मी./ब्लू ब्क मद सं 45/2018-19/कर्नाटक राज्य  | (+ )2.99% आरओआर के साथ 56.73 करोड़ रु. के लागत से संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट (पीडीएफ फार्मेट) को जीमेल के माध्यम से दि.04.09.2020 को रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया. संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के बुकलेट्स दि.23.11.2020 को रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किये गये हैं.  |

### (काँ.नं.3) चालू सर्वेक्षण - 3 नग

| क्रम सं. | सर्वेक्षण का नाम लंबाई कि.मी. में /बी.बी.मद सं/स्वीकृत वर्ष/राज्य  | सर्वेक्षण की संक्षिप्त स्थिति  |
|----------|--|--|
| (1)      | धर्मवरम-बेल्लारी (नई लाइन) /12 किमी. के बीच आरईटीएस ब्लू बुक मद सं. 43 / 2017-18 / आंध्रप्रदेश - कर्नाटक राज्य | सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरेखण तथा यार्ड प्लान अनुमोदित किया गया. संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट पर टिप्पणियों का अनुपालन रिपोर्ट फील्ड यूनिट द्वारा भेजी जानी है. दि.02.11.2020 को अद्यतन अनुस्मारक जारी किया गया.<br><b>रेलवे बोर्ड को भेजने के लिए टीडीसी .. फरवरी,2021</b>  |
| (2)      | बोधन- बीदर (नई लाइन) के बीच पीईटीएस /100 कि.मी./ ब्लू बुक मद सं 32/2010-11<br>तेलंगाना-कर्नाटक                 | (i) पटानचेरु-बोधन सेक्शन (150 किमी ) और (ii) बोधन-बीदर, खानापुर और बीदर-बांसवाडा (108किमी) को जोड़ने के लिए वाई जंक्शन से मालेगांव-शापुर से मालेगांव-खानापुर से संरेखण में परिवर्तन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण बोर्ड के दि. 28.03.2019 के पत्र के स्वीकृत किया गया. सर्वेक्षण प्राक्कलन बनाने के लिए लागत की स्वीकृति हेतु दि. 11.06.2019 को रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा गया है. मप्रधि/नि/सिकं के दि. 30.09.2020 के पत्र के अंतर्गत 138 कि.मी. का कुल लंबाई की स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया गया है. |
| (3)      | बीदर-नांदेड (नई लाइन)के बीच एफएलएस/155 कि.मी. ब्लू बुक मद सं 33/2020-21/महाराष्ट्र- कर्नाटक राज्य              | एफएलएस निविदाएं खोली गईं और दिनांक 19.08.2019 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया. दि.05.12.2019 को फील्ड को एफएलएस संरेखण का अनुमोदन संसचित किया गया है. दिनांक 17.12.2019 को यार्ड स्केच का अनुमोदन किया गया है और दिनांक 18.12.2019 को फील्ड यूनिट को सूचित किया गया है. आगे की प्रक्रिया, आयोजना अनुभाग द्वारा किया जा रहा है. 2018-19 पिंक बुक में उपर्युक्त कार्य दिखाई देता. दि. 24.12.2019 के पत्र के अंतर्गत ब्लू बुक से हटाने के लिए रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया गया है.                                 |

(कॉ.नं.4) बोर्ड द्वारा लंबित परियोजनाएं- कुछ नहीं

(कॉ.नं.5) बोर्ड द्वारा रोक लगायी गयी परियोजनाएं - कुछ नहीं